

## CBD के अंतर्गत भारत का जैवविविधता लक्ष्य

### प्रलिस के लयि:

राष्ट्रीय जैवविविधता लक्ष्य, जैवविविधता पर अभसिमय, कूनमगि-मॉन्टरयिल वैश्वकि जैव-विविधता फरेमवरक, आकरामक वदिशी परजातयिाँ, नषिपकष और नयायसंगत साझाकरण, सतत वकिस लक्ष्य, समुद्री पारसिथतिकी तंत्र, तटीय पारसिथतिकी तंत्र, आईची जैवविविधता लक्ष्य (2011-2020), समुद्री घास के मैदान, अन्य प्रभावी कषेत्र-आधारति संरक्षण उपाय (OECM) ।

### मेन्स के लयि:

कूनमगि-मॉन्टरयिल वैश्वकि जैव-विविधता फरेमवरक का महत्त्व, भारत के जैवविविधता लक्ष्य ।

स्रोत: हदुस्तान टाइम्स

### चर्चा में क्योँ?

हाल ही में, भारत ने कूनमगि-मॉन्टरयिल वैश्वकि जैवविविधता फरेमवरक (KMGBF) के साथ संरेखति करते हुए जैवविविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (CBF) में अपने राष्ट्रीय जैवविविधता लक्ष्य प्रसतुत करने की योजना बनाई है ।

- CBD का अनुच्छेद 6 सभी पक्षकारों से जैवविविधता के संरक्षण और सतत उपयोग के लयिराष्ट्रीय रणनीति, योजना या कार्यक्रम तैयार करने का आह्वान करता है ।
- भारत द्वारा कोलंबिया के कैली में आयोजति होने वाले CBD के पक्षकारों के 16वें सम्मेलन (CBD-COP 16) में अपने 23 जैवविविधता लक्ष्य प्रसतुत कयि जाने की संभावना है ।

### CBD के अंतर्गत भारत का जैवविविधता लक्ष्य क्या है?

- संरक्षण कषेत्र: जैवविविधता को बढ़ाने के लयि 30% कषेत्रों को प्रभावी रूप से संरक्षति करने का लक्ष्य ।
- आकरामक परजातयिाँ का प्रबंधन: आकरामक वदिशज परजातयिाँ के प्रवेश और स्थापना में 50% की कमी का लक्ष्य ।
- अधिकार और भागीदारी: जैवविविधता संरक्षण प्रयासों में स्वदेशी लोगों, स्थानीय समुदायों, महिलाओं और युवाओं की भागीदारी और अधिकारों को सुनशिचति करना ।
- सतत उपभोग: सतत उपभोग वकिलों को सकषम बनाना और खाद्य अपशिष्ट को आधे से कम करना ।
- लाभ साझाकरण: आनुवंशकि संसाधनों, डजिटिल अनुक्रम की जानकारी और संबधति पारंपरिक ज्ञान से लाभ के नषिपकष और नयायसंगत साझाकरण को बढ़ावा देना ।
- प्रदूषण में कमी: प्रदूषण को कम करने, पोषक तत्वों की हानि और कीटनाशक जोखमि को आधा करने के लयि प्रतबिद्ध ।
- जैवविविधता नयिोजन: यह सुनशिचति करना क उच्च जैवविविधता महत्त्व वाले कषेत्रों की हानि को कम करने के लयि सभी कषेत्रों का प्रबंधन कयि जाए ।

### कूनमगि-मॉन्टरयिल वैश्वकि जैवविविधता फरेमवरक (KMGBF) क्या है?

- परिचय: यह एक बहुपक्षीय संधि है, जसिका उद्देश्य वर्ष 2030 तक वैश्वकि स्तर पर जैवविविधता की हानि को रोकना है ।
  - इसे दसिंबर 2022 में कॉन्फरेंस ऑफ पार्टीज (CoP) की 15वीं बैठक के दौरान अपनाया गया था ।
  - यह सतत वकिस लक्ष्यों (SDG) का समर्थन करता है, जो जैवविविधता के लयि रणनीतिक योजना वर्ष 2011-2020 से प्राप्त उपलब्धयिाँ और सबक पर आधारति है ।
- उद्देश्य और लक्ष्य: यह सुनशिचति करता है क वर्ष 2030 तक कषीण हो चुके स्थलीय, अंतरदेशीय जल, तथा समुद्री और तटीय पारसिथतिकी तंत्र के कम-से-कम 30% कषेत्रों का प्रभावी पुनरस्थापन हो जाए ।
  - इसमें वर्ष 2030 तक के दशक में तत्काल कार्रवाई के लयि 23 करयिा-उन्मुख वैश्वकि लक्ष्य शामिल हैं, जो वर्ष 2050 तक परणाम-

उन्मुख लक्ष्यों की प्राप्ति में सक्षम बनाएँगे।

- यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि यह लक्ष्य **सामूहिक वैश्विक प्रयासों को संदर्भित करता है** न कि **प्रत्येक देश द्वारा** अपने भूमि और जल क्षेत्र का **30%** आवंटित करने की आवश्यकता को।

- **दीर्घकालिक दृष्टिकोण:** इस रूपरेखा में यह परिकल्पना की गई है कि वर्ष **2050 तक प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित** करने के लिये सामूहिक प्रतिबद्धता होगी, जो जैवविविधता संरक्षण और सतत उपयोग पर वर्तमान कार्यों और नीतियों के लिये एक आधारभूत मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करेगी।

//



# जैवविविधता अभिसमय के पक्षकारों का 15वाँ सम्मेलन (CBD COP 15)



- जैवविविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (CBD) 1993 - जैवविविधता के संरक्षण के लिये एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि
- CBD के पक्षकारों का सम्मेलन अभिसमय का शासी निकाय है

## पक्षकारों का सम्मेलन-COP

### COP 1 (1994)

- नसाऊ, बहामास
- 29 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस के रूप में प्रस्तावित किया गया

### EXCOP 1

- UN CBD COP की पहली विशेष बैठक
- कार्टाजेना, कोलंबिया (फरवरी 1999) और मॉन्ट्रियल, कनाडा (जनवरी 2000)
- जैवसुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल को अपनाया गया

### COP 8 (2006)

- कुर्तीबा, ब्राजील
- ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक (GBO) रिपोर्ट 2 (वर्ष 2001 में GBO 1)

### COP 5 (2000)

- नैरोबी, केन्या
- UNGA ने 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस के रूप में अपनाया

### COP 10 (2010)

- नागोया, जापान
- नागोया प्रोटोकॉल (अनुवांशिक संसाधनों तक पहुँच और लाभों का समुचित एवं समान साझाकरण) को अपनाया गया
- जैवविविधता के लिये रणनीतिक योजना 2011-20 और आइची जैवविविधता लक्ष्य
- ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक (GBO) रिपोर्ट 3

### COP 6 (2002)

- हेग, नीदरलैंड्स
- ग्लोबल टैक्सोनामी इनिशिएटिव, ग्लोबल स्ट्रेटेजी फॉर प्लांट कंजर्वेशन को अपनाया गया

### COP 11 (2012)

- हैदराबाद, भारत

### COP 14

- शर्म अल शेख, मिस्र

## COP 15

### चरण-I

- कुनमिंग, चीन में आयोजित किया गया (अक्तूबर 2021)
- थीम- पारिस्थितिक सभ्यता: पृथ्वी पर सभी जीवन के लिये एक साझा भविष्य का निर्माण (Ecological Civilization% Building a Shared Future for All Life on Earth)
- कुनमिंग बायोडाइवर्सिटी फंड

### चरण-II

- मॉन्ट्रियल, कनाडा में आयोजित किया गया
- 2020 के बाद वैश्विक जैवविविधता रूपरेखा (Post 2020 Global Biodiversity Framework)- 4 लक्ष्य तथा 23 उद्देश्य, जिन्हें 2030 तक हासिल करना है
- 30 इल 30 लक्ष्य- 2030 तक स्थलीय, आंतरिक और तटीय और समुद्री क्षेत्रों का कम-से-कम 30 प्रतिशत प्रभावी ढंग से संरक्षित और प्रबंधित करना
- किसी भी देश ने अपनी सीमाओं के भीतर सभी 20 आइची लक्ष्यों ( जो 2020 में समाप्त हुए ) को पूरा नहीं किया



उत्तर: (a)

प्रश्न: "मोमेंटम फॉर चेंज: क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ" यह पहल किसके द्वारा प्रवर्तित की गई है? (2018)

- (A) जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल
- (B) UNEP सचिवालय
- (C) UNFCCC सचिवालय
- (D) विश्व मौसम विज्ञान संगठन

उत्तर: (c)

????? ????????

Q. भारत सरकार दवा कंपनियों द्वारा दवा के पारंपरिक ज्ञान को पेटेंट कराने से कैसे बचाव कर रही है? (वर्ष 2019)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/india-s-biodiversity-target-under-cbd>

